पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली वेबसाईट : **http:/www.pfcindia.com**

सीआईएन एल**65910**डीएल**1986**जीओआई**024862**

भाग **- I :** दिनांक **30** सितंबर **2016** को समाप्त होने वाली तिमाही और छमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का विवरण

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त होने वाली तिमाही के लिए			समाप्त होने वाली छमाही के लिए		समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
		30-09-2016	**30-06-2016**	**30-09-2015**	**30-09-2016**	**30-09-2015**	**31-03-2016**
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1)	प्रचालन से होने वाली आय						
	(क) ब्याज से होने वाली आय	**6,856.90**	**7,072.05**	**6,891.40**	**13,928.95**	**13,600.72**	**27,079.44**
	(ख) अन्य प्रचालन आय	**71.49**	**33.55**	**130.65**	**105.04**	**176.66**	**394.21**
	प्रचालन से कुल आय **(निबल)**	**6,928.39**	**7,105.60**	**7,022.05**	**14,033.99**	**13,777.38**	**27,473.65**
2)	व्यय						
	(क) ब्याज, वित्तीय और अन्य प्रभार (प्रावधानों सहित)	**4,293.88**	**4,466.61**	**4,525.40**	**8,760.49**	**8,810.27**	**18,212.83**
	(ख) कर्मचारी लाभ व्यय	**26.38**	**25.26**	**22.43**	**51.64**	**45.46**	**90.37**
	(ग) मूल्यह्रास और ऋणमोचन	**1.35**	**1.18**	**1.45**	**2.53**	**2.75**	**6.17**
	(घ) अन्य व्यय	**14.37**	**175.67**	**12.47**	**190.04**	**169.08**	**194.28**
	कुल व्यय	**4,335.98**	**4,668.72**	**4,561.75**	**9,004.70**	**9,027.56**	**18,503.65**
3)	अन्य आय और असाधारण मदों से पूर्व प्रचालन से लाभ **(1-2)**	**2,592.41**	**2,436.88**	**2,460.30**	**5,029.29**	**4,749.82**	**8,970.00**
4)	अन्य आय	**71.37**	**53.06**	**2.07**	**124.43**	**5.84**	**90.66**
5)	असाधारण मदों से पहले साधारण कार्यकलापों से लाभ **(3+4)**	**2,663.78**	**2,489.94**	**2,462.37**	**5,153.72**	**4,755.66**	**9,060.66**
6)	असाधारण मदें	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

7)	कर पूर्व साधारण कार्यकलापों से लाभ **(5+6)**		**2,663.78**	**2,489.94**	**2,462.37**	**5,153.72**	**4,755.66**	**9,060.66**
8)	कर संबंधी व्यय		**790.36**	**777.39**	**767.07**	**1,567.75**	**1,484.15**	**2,947.18**
	(क)	आयकर के लिए प्रावधान						
		चालू वर्ष	**791.18**	**661.60**	**716.07**	**1,452.78**	**1,409.27**	**2,822.26**
		पूर्ववर्ती वर्ष	**(0.03)**	**0.00**	**0.00**	**(0.03)**	**(0.43)**	**12.11**
	(ख)	आस्थगित कर देयता / **(**आस्थगित कर परिसंपत्ति**)**	**(0.79)**	**115.79**	**51.00**	**115.00**	**75.31**	**112.81**
9)	कर पश्चात साधारण कार्यकलापों से निबल लाभ **(7-8)**		**1,873.42**	**1,712.55**	**1,695.30**	**3,585.97**	**3,271.51**	**6,113.48**
10)	असाधारण मदें **(**कर संबंधी निबल व्यय **-** शून्य**)**		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11)	अवधि के लिए निबल लाभ **(9-10)**		**1,873.42**	**1,712.55**	**1,695.30**	**3,585.97**	**3,271.51**	**6,113.48**
12)	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी **(**शेयर का अंकित मूल्य 10 रू. है**)**		**2,640.08**	**1,320.04**	**1,320.04**	**2,640.08**	**1,320.04**	**1,320.04**
13)	पुनर्मूल्यांकन संबंधी आरक्षित निधियों को छोड़कर आरक्षित निधियां		**--**	**--**	**--**	**36,634.68**	**33,946.83**	**34,445.99**
14)	प्रति शेयर अर्जन **(**ईपीएस**)** **(**अंकित मूल्य प्रत्येक 10 रू.**)** **(**वार्षिक आधार पर निर्धारित न किया गया**)**							
	(क)	आधारभूत और तनुकृत ईपीएस **(**असाधारण मदों	**7.10**	**6.48**	**6.42**	**13.58**	**12.39**	**23.16**

		से पहले) (रू. में)						
	(ख)	आधारभूत और तनुकृत ईपीएस (असाधारण मदों के बाद) (रू. में)	**7.10**	**6.48**	**6.42**	**13.58**	**12.39**	**23.16**
15)	ऋण इक्विटी अनुपात		**--**	**--**	**--**	**4.96**	**5.26**	**5.61**
16)	डिवेंचर रिडेंपशन रिजर्व		**--**	**--**	**--**	**1,299.95**	**1,011.81**	**1,172.55**
17)	निबल मूल्य		**--**	**--**	**--**	**39,274.76**	**35,266.87**	**35,766.03**
18)	रिडीम किए जाने योग्य बकाया प्राथमिकता शेयर		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19)	प्रदत्त ऋण पूंजी*		**--**	**--**	**--**	**178,983.90**	**173,931.02**	**172,339.16**
20)	कैपिटल रिडेंपशन रिजर्व		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	* बांड / डिवेंचर शामिल हैं।							
				(करोड़ रूपए में)				
भाग-II: परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण								
			स्टैंडअलोन					
क	इक्विटी और देनदारियां		**30.09.2016** की स्थिति के अनुसार	**31.03.2016** की स्थिति के अनुसार				
1		शेयरधारकों की निधियां						
		(क) शेयर पूंजी	**2,640.08**	**1,320.04**				
		(ख) आरक्षित और अधिशेष निधियां	**36,634.68**	**34,445.99**				
		उप जोड़ - शेयरधारकों की निधियां	**39,274.76**	**35,766.03**				
2		गैर-चालू देनदारियां						
		(क) दीर्घकालिक ऋण	**165,167.50**	**172,549.70**				

		(ख) आस्थगित कर देयताएं (निबल)	**456.40**	**302.06**				
		(ग) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	**533.27**	**548.75**				
		(घ) दीर्घकालिक प्रावधान	**1,673.65**	**1,229.28**				
		उप जोड़ - गैर-चालू देनदारियां	**167,830.82**	**174,629.79**				
3		चालू देनदारियां						
		(क) अल्पकालिक ऋण	**6,205.91**	**7,571.57**				
		(ख) अन्य चालू देनदारियां						
		(i) दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	**23,323.44**	**20,363.17**				
		(ii) अन्य चालू देनदारियां	**8,189.17**	**7,500.77**				
		(ग) अल्पकालिक प्रावधान	**667.37**	**805.44**				
		उप जोड- चालू देनदारियां	**38,385.89**	**36,240.95**				
		कुल - इक्विटी और देनदारियां	**245,491.47**	**246,636.77**				
ख.	परिसंपत्तियां							
1		गैर-चालू परिसंपत्तियां						
		(क) स्थायी परिसंपत्तियां	**62.44**	**64.07**				
		(ख) गैर-चालू निवेश	**2,265.60**	**2,266.73**				
		(ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	**187,511.45**	**200,036.08**				
		(घ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	**317.71**	**314.98**				
		उप-जोड़ - गैर-चालू परिसंपत्तियां	**190,157.20**	**202,681.86**				

2		चालू परिसंपत्तियां						
		(क) चालू निवेश	**1,071.02**	**410.74**				
		(ख) नकदी और बैंक में जमा राशियां	**799.77**	**78.45**				
		(ग) दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	**40,983.32**	**33,622.15**				
		(घ) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	**5,691.28**	**3,803.96**				
		(ड़) अन्य चालू परिसंपत्तियां	**6,788.88**	**6,039.61**				
		उप जोड़ **-** चालू परिसंपत्यिां	**55,334.27**	**43,954.91**				
		कुल **-** परिसंपत्तियां	**245,491.47**	**246,636.77**				
वित्तीय परिणामों के साथ संलग्न टिप्पणियों को देखें								

Notes :-

1	दिनांक **30.0**9**.2016** को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और उनकी दिनांक 09.11.**201**6 को आयोजित की गई संगत बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। ये वित्तीय परिणाम संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों अर्थात मैसर्स के. बी. चांदना एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और मैसर्स एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की गई सीमित समीक्षा के अध्यधीन हैं।
2	उपर्युक्त भाग-I के पैरा 2(क) में उल्लिखित ब्याज, वित्तीय और अन्य प्रभारों में निम्नलिखित के संदर्भ में किए गए प्रावधान शामिल हैं : **(i)** चालू तिमाही के लिए गैर – निष्पादन परिसंपत्ति प्रावधान – 313.36 करोड़ रूपए और दिनांक **30.0**9**.2016** को समाप्त तिमाही के लिए 424.31 करोड़ रूपए (संगत पिछली तिमाही और छमाही के लिए क्रमश: 18.24 करोड़ रूपए और 58.37 करोड़ रूपए) है। दिनांक 30.09.2016 की स्थिति सकल रूप से गैर निष्पादन परिसंपत्तियों की राशि - **7,**592.30 करोड़ रू. **(31.03.2016** की स्थिति के अनुसार **7,520.21** करोड़ रूपए**)** है। **(ii)** मानक परिसंपत्तियों की बकाया राशि पर चालू तिमाही के लिए मानक परिसंपत्ति प्रावधान – 65.89 करोड़ रूपए और दिनांक 30.09.2016 को समाप्त छमाही के लिए 47.98 करोड़ रूपए (संगत पिछली तिमाही और छमाही के लिए क्रमश: 303.93 करोड़ रूपए और 310.37 करोड़ रूपए) है। **(iii)** चालू तिमाही के लिए पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति प्रावधान - 78.24 करोड़ रूपए और दिनांक 30.09.2016 को समाप्त छमाही के लिए 29.33 करोड़ रूपए **(**संगत पिछली तिमाही और छमाही में क्रमश: 15.66 करोड़ रूपए और 216.98 करोड़ रूपए**)** है। दिनांक

	30.09.2016 की स्थिति के अनुसार बकाया अर्हक पुनर्गठन/ पुनर्अनुसूचियन / पुनः मोलभाव (आर/आर/आर) ऋण की राशि निजी क्षेत्र के लिए **21,444.17** करोड़ रूपए और सरकारी क्षेत्र के लिए **8,453.45** करोड़ रूपए (दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र के लिए **21,479.20** करोड़ रूपए और सरकारी क्षेत्र के लिए **10,783.78** करोड़ रूपए**),** और **(iv)** चालू तिमाही के लिए निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान का प्रत्यावर्तन 0.08 करोड़ रूपए और दिनांक 30.09.2016 को समाप्त छमाही के लिए 27.02 करोड़ **(**संगत पिछली तिमाही और छमाही में क्रमशः 43.26 करोड़ रूपए और 43.26 करोड़ रूपए**)** है। जहां तक आरबीआई की शर्तों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का संबंध है, तो चालू वर्ष के लिए लेखांकन नीति को दिनांक 30.06.2016 को समाप्त तिमाही के दौरान परिवर्तित किया गया है और इसके तहत प्रावधान को दिनांक 31.03.2016 को 0.30**%** से बढ़ाकर **31.03.201**7 तक **0.**35**%** तक करने की अपेक्षा है। तदनुसार दिनांक **30.0**9**.201**6 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए प्रो-राटा आधार पर प्रावधान किया गया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण चालू तिमाही और छमाही के लिए कर पूर्व लाभ क्रमशः 26.47 करोड़ रूपए और 49.65 करोड़ रू. तक घट गया है। जहां तक आर/आर/आर ऋणों का संबंध है, जिनके संबंध में आरबीआई की शर्तों के अनुसार पुनर्गठन संबंधी प्रावधान लागू होते हैं, तो चालू वर्ष के लिए लेखांकन नीति को दिनांक 30.06.2016 को समाप्त तिमाही के दौरान परिवर्तित किया गया है, और इसके लिए प्रावधान को 31.**0**3**.201**6 की स्थिति के अनुसार 3.50**%** से बढ़ाकर **31.03.201**7 की स्थिति के अनुसार 4.25**%** तक बढ़ाने की आवश्यकता है। तदनुसार दिनांक **30.0**9**.201**6 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए प्रो-राटा आधार पर प्रावधान किया गया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण चालू तिमाही और छमाही के लिए कर पूर्व लाभ क्रमशः 49.23 करोड़ रूपए और 112.12 करोड़ रूपए तक घट गया है।
3	**(i)** चालू वित्तीय वर्ष से कंपनी ने नीचे दिए गए पैराओं के साथ पठित, समय-समय पर यथा संशोधित 'गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-व्यवस्थित ढंग से महत्वपूर्ण गैर जमा स्वीकारकर्ता और जमा स्वीकारकर्ता कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016' में निहित आरबीआई की सर्वोच्च शर्तों को अपनाया है। **(ii)** आरबीआई की परिसंपत्ति वर्गीकरण संबंधी शर्तों के प्रचालन हेतु कंपनी ने अपने दिनांक 13.08.2015 और 13.01.2016 के पत्र के जरिए आरबीआई को अपनी समझ के बारे में सूचित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि**:** क) ऋण परिसंपत्तियों (पट्टे पर परिसंपत्तियों को छोड़कर), जो 31.03.2017 को देय हैं और 4 माह या उससे अधिक अवधि के लिए

	अधिदेय हैं, को गैर निष्पादन वाली परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और वर्ष के दौरान किया गया वर्गीकरण 5 माह या उससे अधिक अवधि के लिए अधिदेय की मौजूदा शर्त के आधार पर होगा, ख) दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार एनपीए, जो 14 माह तक की अवधि के लिए अधिदेय हैं, को उप मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और वर्ष के दौरान ऐसा वर्गीकरण 16 माह तक की अवधि के लिए अधिदेय एनपीए की मौजूदा शर्तों पर आधारिता होगा, और ग) दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार एनपीए, जो 14 माह तक की अवधि के लिए अधिदेय हैं, को संदेहास्पद परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और वर्ष के दौरान ऐसा वर्गीकरण 16 माह तक की अवधि के लिए अधिदेय एनपीए की मौजूदा शर्तों पर आधारित होगा। आरबीआई ने अपने दिनांक **03.10.2016** के पत्र के जरिए परिसंपत्ति वर्गीकरण शर्तों के संदर्भ में कंपनी की कार्यान्वयन योजना की पुष्टि की है। तदनुसार अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई है की गणना वर्ष के अंत में की जाएगी। **(iii)** आर/आर/आर संबंधी शर्तों के लिए आरबीआई ने अपने दिनांक 1.06.2014 को पत्र के माध्यम से निम्नलिखित के लिए सूचित किया है: **(**क**)** इस संबंध में आरबीआई ने अपने दिनांक 11.06.2014 के पत्र के जरिए पारेषण और वितरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा परियोजना जीवनकाल विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं और हिमालयी क्षेत्र में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तीन वर्ष की अवधि अर्थात 31.03.2017 तक अपनी पुनर्गठन संबंधी शर्तों को लागू करने से छूट प्रदान की है, और **(**ख**)** आरबीआई ने अपने दिनांक **11.06.2014** के पत्र के माध्यम से यह निर्देश दिया है कि 01.04.2015 से पुनर्गठित उत्पादन कंपनियों के नए परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान की आवश्यकता **5%** होगी और सभी उत्पादन कंपनियों के लिए **31.03.2015** की स्थिति के अनुसार ऐसे बकाया ऋणों के स्टॉक के लिए दिनांक **31.03.2015** से **2.75%** के प्रावधान के साथ प्रोविजनिंग शुरू की जाएगी, जो दिनांक 31.03.2018 तक **5%** तक पहुंच जाएगी। आरबीआई के दिनांक 11.06.2014 के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने अपने दिनांक 03.07.2014 के पत्र के जरिए आरबीआई को अपने कार्यान्वयन के ढंग के बारे में सूचित किया है, जिसे कंपनी ने अपने दिनांक 27.11.2014 और 25.07.2016 के पत्र के जरिए फिर से दोहराया है। आरबीआई द्वारा अपने दिनांक 01.09.2016 के पत्र के माध्यम से मांगी गई सूचना कंपनी द्वारा अपने दनिांक 17.10.2016 के पत्र के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। कंपनी इस मामले को आरबीआई के साथ उठा रही है। तदनुसार कंपनी आरबीआई को सूचित किए अनुसार कार्यान्वयन के ढंग के अनुरूप आरबीआई की शर्तों का कार्यान्वयन कर रही है।

4	दिनांक **01.04.2016** से लेखांकन नीति को आरबीआई की सर्वोच्च शर्तों के अनुरूप बनाए जाने के पश्चात : **(i)** उद्धृत किए गए चालू निवेश का मूल्यांकन पूर्ववर्ती नीति के अनुसार स्क्रिप-वाइज मूल्यांकन की तुलना में श्रेणीवार ढंग से किया गया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण चालू तिमाही और छमाही के लिए कर पूर्व लाभ क्रमश 12.99 करोड़ और 50.66 करोड़ रूपए तक बढ़ गया है; **(ii)** दिनांक 31.03.2016 तक यथालागू **100%** एनपीए के साथ '3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए संदेहास्पद' होने पर किसी ऋण परिसंपत्ति के रूप में ऋण परिसंपत्ति के वर्गीकरण की नीति को 50**%** की दर से एनपीए के साथ हानि परिसंपत्ति के बजाय 'संदेहास्पद' के रूप में परिसंपत्ति वर्गीकरण की शर्त द्वारा प्रतिस्थापित माना जाए। तदनुसार, किसी ऋण खाते पर, जो चालू तिमाही के दौरान 'तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए संदेहास्पद' के रूप में वर्गीकरण के लिए देय हो जाती है, के लिए आरबीआई की शर्तों के अनुसार प्रावधान किया गया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण चालू तिमाही और छमाही के लिए कर पूर्व लाभ क्रमश: 462.95 करोड़ रूपए और 746.58 करोड़ रूपए तक बढ़ गया है।
5	दिनांक 30.09.2016 को समाप्त तिमाही और छमाही के दौरान कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शी नोट'' के अनुरूप संरेखित करने के प्रयोजन से व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन हेतु अपनी लेखांकन नीति को संशोधित किया है, जो 01.04.2016 से लागू हुई है। मार्गदर्शी नोट के तहत यह आवश्यक है कि व्युत्पन्न संविदाओं की गणना या तो उचित मूल्य के आधार पर की जाए अथवा हेज लेखांकन के अनुसार की जाए और कंपनी ने ऐसे लेखांकन के लिए उचित मूल्य आधार को अपनाया है। तदनुसार, व्युत्पन्न संविदाएं, जो लेखांकन मानक (एएस-11) के अंतर्गत नहीं आती हैं, परंतु मार्गदर्शी नोट के अंतर्गत शामिल हैं, का मापन लाभ और हानि विवरण में मान्यता दिए जा रहे उचित मूल्य में प्रभारों के साथ उचित मूल्य आधार पर किया जाता है। मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित संधिकालिक प्रावधानों के **74.35** करोड़ रूपए (**39.35** करोड़ रूपए की आस्थगित निबल कर देयता) का समायोजन आरक्षित निधियों की अथशेष राशि से किया गया है, जो दिनांक 31.03.2016 तक ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण संचित निबल राशि के उचित मूल्य में परिवर्तन के संचित प्रभाव (लाभ) का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा ब्याज दरों में परिवर्तन पर उचित मूल्य लाभ (निबल) को लाभ और हानि विवरण में बुक किया गया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण दिनांक 30.09.2016 को समाप्त होने वाली चालू तिमाही और छमाही के लिए कर पूर्व लाभ 170.34 करोड़ रूपए तक बढ़ गया है।
6	दिनांक 15. 04. 2015 को कंपनी द्वारा उप मानक के रूप में वर्गीकृत की गई पुनर्गठित ऋण परिसंपत्ति के मामले में ऋणकर्ता ने दिनांक 17. 06. 2015 के आदेश के जरिए माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास से इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई पर अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया था। कंपनी ने परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में एक कानूनी दृष्टिकोण प्राप्त किया था, जिसके आधार पर ऋण परिसंपत्ति को पुनर्गठित उप मानक परिसंपत्ति के बजाय पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया और तिमाही के दौरान खाते में किए गए 33,999 लाख रूपए की राशि वाले एनपीए प्रावधान को प्रत्यावर्तित किया गया है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है और अंतरिम स्टे जारी है। प्राप्त किए गए उत्तरवर्ती कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर कंपनी ने 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्ति का वर्गीकरण मानक के रूप में बनाए रखा है और परियोजना की आगामी प्रगति के उद्देश्य से चालू तिमाही के दौरान भी इसके लिए वही दर्जा जारी रखा गया है।

	पूर्ववर्ती वर्ष में खाते के पुनर्वर्गीकरण के पश्चात **(i)** ब्याज से होने वाली 666.31 करोड़ रूपए की आय को अधिदेय होने के कारण वास्तविक आधार पर मान्यता दी गई है (जिसमें चालू तिमाही के दौरान 173.17 करोड़ रूपए और दिनांक 30.09.2016 को समाप्त छमाही के दौरान 337.53 करोड़ रूपए और पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 328.78 करोड़ रूपए की राशि शामिल है)। संगत पूर्ववर्ती तिमाही और छमाही के दौरान अधिदेय होने के फलस्वरूप वास्तविक आधार पर स्वीकार की गई ब्याज से होने वाली आय क्रमश: 138.54 करोड़ रूपए और 237.50 करोड़ रूपए है। **(ii)** मौजूदा परिसंपत्ति वर्गीकरण पर आधारित यथा लागू प्रावधान किया गया है, जो दिनांक 30.09.2016 की स्थिति के अनुसार 124.79 करोड़ रूपए (दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 148.82 करोड़ रूपए) है । **(iii)** उपर्युक्त **(ii)** में उल्लिखित प्रावधान पर विचार करने के पश्चात दिनांक 30.09.2016 की स्थिति के अनुसार **4,251.91** करोड़ रूपए की बकाया ऋण राशि पर संदेहास्पद के रूप में खाते को मानते हुए किए गए प्रावधान को मान्यता नहीं दी गई है, जो कि 725.79 करोड़ रूपए है। **(iv)** दिनांक 30.06.20126 को कंपनी ने एड-अंतरिम स्टे आदेश को निरस्त करने के लिए एक याचिका दायर की है। उपर्युक्त याचिका सुनवाई के लिए लंबित है।
7	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक 01.09.2016 को 79.20 करोड़ रूपए की राशि के साथ प्रदत्त इक्विटी पूंजी पर **6%** की दर से अंतिम लाभांश अर्थात प्रत्येक 10 रूपए के इक्विटी शेयर पर 0.60 रूपए का भुगतान किया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भुगतान किए गए कुल लाभांश की गणना प्रत्येक 10 रूपए के इक्विटी शेयर पर 13.90 रूपए की गई है।
8	चालू तिमाही के दौरान गुड़गांव-पलवल पारेषण लिमिटेड और वरोरा – कुर्नुल ट्रांसमिशन लिमिटेड, जो कि पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी) के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किया गया।
9	चालू तिमाही के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 09 अगस्त 2016 को आयोजित बैठक में पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसी जीईएल, कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी) के कंपनी के साथ विलय पर विचार किया है और इसके लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है।
10	कंपनी दीर्घावधि विदेशी मुद्रा वाली धन संबंधी मदों पर उनकी कार्यावधि के दौरान विनिमय संबंधी अंतर को ऋणमोचित करती है। तत्पश्चात दिनांक 30.09.2016 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा धन संबंधी मद परिवर्तन अंतर खाता(एफसीएमआईटीडीए) के तहत ऋणमोचित डेबिट बैलेंस 891.36 करोड़ रूपए (दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार डेबिट बैलेंस 739.74 करोड़ रूपए) है।
11	कंपनी के शेयरधारकों ने दिनांक 09 अगस्त 2016 को आयोजित वार्षिक आमसभा (एजीएम) में निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया है : **(क)** कंपनी की वर्तमान में प्राधिकृत शेयर पूंजी अर्थात 2000 करोड़ रूपए (प्रत्येक 10 रू. के **2,00,00,00,000** इक्विटी शेयरों के रूप में विभाजित) को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रूपए (प्रत्येक 10 रू. के 10**,00,00,00,000** इक्विटी शेयरों के रूप में विभाजित)

	करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया है। **(ख)** 'प्रतिभूतियां प्रीमियम खाता'' को पूंजीकृत कर **1:1** के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया है। तत्पश्चात, निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 01 सितंबर 2016 को आयोजित बैठक में दिनांक 29.08.2016 (रिकॉर्ड तिथि) की स्थिति के अनुसार मौजूदा शेयरधारकों को **132,00,40,704** बोनस इक्विटी शेयरों के आवंटन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी **1,320.04** करोड़ रूपए **(**प्रत्येक 10 रूपए के **132,00,40,704** इक्विटी शेयर**)** से बढ़कर **2,640.08** करोड़ रूपए **(**प्रत्येक 10 रूपए के **264,00,81,408** इक्विटी शेयर) हो गई है। तदनुसार सभी अवधियों के लिए प्रस्तुत किए गए बोनस शेयरों के मद में प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (आधारभूत और तनुकृत) का समायोजन किया गया है।
12	कंपनी अपरिवर्तनीय बांड इश्यू की सीरिज के साथ विभिन्न लिखतों के माध्यम से निधियां बढ़ाती रही हैं। दिनांक 30.09.2016 को समाप्त तिमाही और छमाही के दौरान कंपनी ने अपनी ऋण सेवाएं प्रदान करने में कोई चूक नहीं की है। जहां तक अपरिवर्तनीय रूपया मूल्य वर्ग बांड का संबंध है, तो ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए पूर्ववर्ती देय तिथि दिनांक 27.09.2016 थी।
13	कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित बांड और दिनांक 30.09.2016 को बकाया राशियों के लिए विशेष अचल संपत्तियों को बंधक बनाकर और/अथवा कंपनी को प्राप्त होने वाले प्रभार के रूप में **100%** सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।
14	कंपनी के दीर्घकालिक घरेलू ऋण कार्यक्रम (बैंक ऋण सहित) के लिए घरेलू रेटिंग एजेंसियों अर्थात सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए और सीएआरई द्वारा लगातार क्रमश: सीआरआईएसआईएल, एएए, आईसीआरए, एएए और सीएआरई एएए की सर्वोच्च रेटिंग दी जा रही है। कंपनी के अल्पकालिक घरेलू ऋण कार्यक्रम (बैंक ऋण सहित) को घरेलू रेटिंग एजेंसियों अर्थात सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए और सीएआरई द्वारा लगातार क्रमश: सीआरआईएसआईएल ए**1+**, आईसीआरए ए**1+** और सीएआरई ए**1+** की सर्वोच्च रेटिंग दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों अर्थात मूडीज, फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स द्वारा कंपनी को दी गई दीर्घकालिक मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग क्रमश: बीएए3, बीबीबी- और बीबीबी- दी गई हैं, जो कि भारत के लिए संप्रभु रेटिंग के बराबर हैं।
15	दिनांक **30.09.2016** की स्थिति के अनुसार रिडिम किए जाने योग्य प्राथमिकता शेयर शून्य हैं **(31.03.2016** की स्थिति के अनुसार भी शून्य**)** हैं।
16	व्यापार फंड की पहचान निदेशक मंडल और प्रबंधन ढांचे को आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अपनाई गई प्रणाली के अनुसार की जाती है। कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसे लेखांकन मानक-17 के संदर्भ में केवल प्राथमिक व्यापार फंड के रूप में माना जाता है। अत: इस संबंध में खंडात्मक रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।
17	संवर्ती अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए आवश्यक होने पर पूर्ववर्ती अवधि के लिए आंकड़ों को पुन: समूहबद्ध / पुन: वर्गीकृत किया गया।

18	दिनांक 30.09.2016 को समाप्त तिमाही के लिए आंकड़े दिनांक 30.09.2016 को समाप्त छमाही के लिए अनंकेक्षित आंकड़ों और दिनांक 30.06.2016 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित आंकडों के बीच संतुलित आंकड़े हैं।

	राजीव शर्मा
स्थान : नई दिल्ली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
तारीख : **09.11.2016**	डीआईएन **- 00973413**